न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री उदयभानसिंह उर्फ डिक्सा पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी पालडीएम पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी संख्या एक व दो स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2020 को महादेव होटल के पीछे सरहद पालडी एम खेत में एक पिकअप वाहन में रखे कुल 7 ड्रम एवं खेत में रखे कुल 11 ड्रम डीजल व पेट्रोल के भरे हुए पाए गए जिसमें कुल 3130 लीटर डीजल एवं 480 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल एवं पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल एवं पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो स्वयं उपस्थित हुए, जिन्होंने जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 21.05.2020 को महादेव होटल के पीछे सरहद पालडी एम खेत में श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा अपने [illegible] ड्रम डीजल से भरे हुए, जिनमें से 4 ड्रम 210 लीटर व 3 ड्रम 220 [illegible] खेत में रखे हुए कुल 11 ड्रम जिनमें से 8 ड्रम डीजल [illegible] 210 लीटर क्षमता के तथा 3 ड्रम पेट्रो[illegible] तथा 1 [illegible] 80 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया [illegible] से बेचान करने हेतु [illegible] या था। होटल मालिक का नाम उदयभानसिंह उर्फ डिक्सा पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी एम जिला सिरोही बताया गया जो उक्त डीजल अवैध तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से अपने कब्जे वाले होटल परिसर बेचान करने की कार्यवाही करता था। इस प्रकार कुल 3130 लीटर डीजल एवं 480 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल एवं पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल एवं पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल एवं पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल एवं पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिए गए डीजल एवं पेट्रोल से उनका कोई लेना–देना नहीं है। अतः श्रीमान उक्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 21.05.2020 को महादेव होटल के पीछे सरहद पालडी एम खेत में श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाराम जाति कलबी निवासी कोजरा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा अपने वाहन पिकअप में रखे कुल 7 ड्रम डीजल से भरे हुए, जिनमें से 4 ड्रम 210 लीटर व 3 ड्रम 220 लीटर तथा खेत में रखे हुए कुल 11 ड्रम जिनमें से 8 ड्रम डीजल से भरे हुए जिनमें 5 ड्रम 200 लीटर व 3 ड्रम 210 लीटर क्षमता के तथा 3 ड्रम पेट्रोल के जिनमें से 2 ड्रम पेट्रोल के भरे हुए तथा 1 ड्रम में 80 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया, जिन्हें अवैध तरीके से बेचान करने हेतु रखा गया था। मौके पर स्थित होटल मालिक का नाम उदयभानसिंह उर्फ डिक्सा पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी पालडी एम जिला सिरोही बताया गया जो उक्त डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से अपने कब्जे वाले होटल परिसर बेचान करने की कार्यवाही करता था। इस प्रकार कुल 3130 लीटर डीजल एवं 480 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त डीजल एवं पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी संख्या एक व दो का कथन है कि मौके पर मिले उक्त डीजल एवं पेट्रोल से उनका कोई लेना देना नहीं है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 3130 लीटर डीजल एवं 480 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 3130 लीटर डीजल एवं 480 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकोष [illegible] करने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible]

निर्णय आज, दिनांक 29.12.2021 को [illegible] सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner